RAJYA SABHA

Wednesday, the 26th April, 2000/26 Vaisakha, 1922 (Saka)

The House met at eleven of the clock, ***Mr. Chairman*** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना

*441. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:††**
डा. डी. मस्तान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू-कश्मीर राज्य के छत्तीसिंहपुरा गांव में 35 सिखों की सामूहिक हत्या की घटना को ध्यान में रखते हुए अकाली दल (बादल) के एक प्रतिनिधिमंडल ने उस राज्य में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो यह मांग क्या थी; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के संबंध में अकाली दल (बादल) के प्रतिनिधि मण्डल से कोई औपचारिक मांग प्राप्त नहीं हुई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

Abolition of Article 370

†*441. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA:††
DR. D. MASTHAN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a delegation from Akali Dal (Badal) had demanded for

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Balwant Singh Ramoowalia.

abolition of Article 370 in the State of Jammu and Kashmir in view of the incident of massacre of 35 sikhs in village Chhattisinghpura;

(b) if so, the details of the demands; and

(c) the decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) No formal demand for abolition of Article 370 in the State of Jammu & Kashmir has been received from a delegation of Akali Dal (Badal).

(b) and (c) Questions do not arise.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, though the hon. Minister has answered that no formal demand has been made by the Akali Dal (Badal) for abolition of Article 370, yet, it was widely published that a seven-member delegation led by the Akali Dal (Badal) has visited the Chattisinghpura village where this massacre took place. After coming back to Delhi, it held a Press conference and made this demand. Sir, now three sub-questions arise. Akali Dal had never demanded earlier the withdrawal of article 370, though the B.J.P. has been vigorously demanding the scrapping of article 370. Sir, the Akali Dal and the Bharatiya Janata Party are coalition partners. On top of it, the National Conference is also a partner. Sir, since April 3 till date, there has been no contradiction of the statement, either by the Akali Dal high command or Political Affairs Committee. Sardar Prakash Singh Badal has also not contradicted it. Now, I would like to know whether the Home Minister considers — in the absence of any contradiction of the statement by the Akali Dal high command or the President of Shiromani Akali Dal, Shri Prakash Singh Badal — that the demand was serious.

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, in fact, when I got this question, tried to find out whether there has been any such demand anywhere, but I have not been able to trace anything. Maybe, a delegation has met someone else. It has not met me. Then, my Ministry took the trouble of speaking to the President of the organisation itself, the Chief Minister of Punjab, Mr. Prakash Singh Badal and asked him, "this is the question that we have received; kindly tell us: has any such demand been made by your party?" He denied it pointedly. He said that no such demand for the repeal of article 370 has been made by his party. Therefore, it is that I have answered it categorically that there has been no such demand, and as such, the subsequent questions do not arise.

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, I am thankful to the hon. Home Minister that he took the trouble of verifying and ascertaining the facts in regard to this question. I have got with me *The Economic Times* of April 4, wherein this news has been published rather prominently. Sir, my second supplementary is that some knowledgeable analysts have written that the attack on the Sikh community was because, number one, Sikhs were not co-operative in the designs which the ISI wants to implement. Number two, Sikhs were supportive of the composite culture. Number three, the role of Sikhs was along with other brethren and soldiers of the Indian army in Kargil. Also, the desperation of the ISI is that it is not able to find a single supporter now in Punjab fot its designs. At the instance of some terrorists sitting in Pakistan, they want to punish this community. The editorial of this newspaper says:

> "The Union Home Minister, Shri L.K. Advani, has said that after Hindus, the militants seem to be targeting Sikhs to ensure that Sikhs migrate from the State."

Sir in view of the analysis by some knowledgeable people, does the hon. Home Minister think that it was a punishment to the Sikhs or it was a plan to clense the valley of *pandits* and Sikhs, both?

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, these are matters of opinion. Analysts of all kinds may do their own analysis, and we can have that kind of a debate or discussion also. But, so far as Government is concerned, Government felt that this particular incident at Chattisinghpura was principally aimed at the visit of the US President to India, conveying to him that here in the Kashmir Valley, militants have the ability to strike anywhere at their point of choosing and at their instance. In fact, the US President himself has made a statement a few days back, "I feel sorry that this has happened, and I feel that it is because of my visit to India that this has happened". This only confirm that their assessment is the same.

MR. CHAIRMAN: Mr. Masthan not present. Mr. Pranab Mukherjee.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The hon. Home Minister, while replying to the main question, has said that though there were some newspaper reports, formally they have not demanded scrapping of article 370. Later on, subsequently. he has corrected that there has been no demand at all. But, I am not going into that aspect.

Scrapping of article 370 is not on the agenda. A political party is demanding scrapping of article 370 for quite some time. It was on its agenda. It

is the main partner, the leading coalition partner today. Admitting that there is no room for scrappnng of article 370 on the NDA agenda, I assume that the NDA will run as per the NDA agenda, the NDA manifesto. Still, there is a loophole. The other day, when we were having the discussion on the Commission to review the Constitution, the question arose: which part of the Constitution can be reviewed by the Commission? The Government has not set any agenda about scrapping article 370. The Commission has invited public opinion. Any number of people can go and make representations to it. The demand for scrapping of article 370 is very much on the agenda of the BJP. Will the Commission be empowered to review this particular article of the Constitution?

SHRI L.K. ADVANI: Sir, so far as the Commission to review the Constitution is concerned, ths terms of reference of the Comission have been publicly declared. It is for the Commission itself to understand and analyse as to what comes within its scope and what does not come within its scope.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I wanted to have this reply. Thank you.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: माननीय सभापति जी, आर्टिकल, 370 कोई सिद्धांत की बात नहीं है। इस बदली हुई परिस्थिति में आर्टिकल 370 एक टेम्पोरेरी फेज़ है और बादल ग्रुप में इसकी कभी मांग नहीं हुई लेकिन बदलती परिस्थिति और हालात को देखते हुए क्या सरकार या केन्द्रीय गृह मंत्री को ऐसा नहीं लगता कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रोविज़न है? क्या उसको हटाने से जम्मू-कश्मीर को कोई सहायता या राहत मिलेगी, मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आर्टिकल 370 टेम्पोरेरी है, यह कोई मैं और वहाडणे जी नहीं कह रहे हैं, यह तो कंस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है लेकिन कोई चीजें टेम्पोरेरी होते हुए भी over a course of time, entrench हो जाती हैं। पचास साल हो गए, आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है क्योंकि इस सरकार के अपने प्रोग्राम में, एन.डी.ए. के प्रोग्राम में इस आर्टिकल के बारे में कुछ करने की बात नहीं है।

श्री कुलदीप नैयर: मंत्री जी, आपने कहा कि आर्टिकल 370 अब एनट्रेंच हो गया है तो इन 52 सालों के बाद जब आप खुद कह रहे हैं कि यह एक हकीकत हो गई है, तो क्या इस बात पर विचार किया जाएगा कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको एबॉलिश कर दिया जाए या इस किस्म की कोई बात होगी? जब आप मानते हैं कि यह एनट्रेंच हो गया है तो यह पॉलिसी गनर्वमेंट की नहीं बल्कि आपकी पार्टी की भी हो सकती है तो क्या इसे मान लिया जाएगा? ... **(व्यवधान)**... सुनिए तो, मैंने अभी खत्म कहां किया है? बात खत्म तो होने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री टी. एन. चतुर्वेदी: एनट्रेंच का मतलब तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट और एनट्रेंच एक ही चीज़ है।

श्री कुलदीप नैयर: मेरा यह कहना है कि क्योंकि यह एनट्रेंच हो गया है और ऑटोनॉमी की सूरत बन गई है तो क्या होम मिनिस्टर यह सोचेंगे कि बाकी स्टेट्स को भी ऐसा ही लगना चाहिए ताकि वे भी ऑटोनॉमी हासिल कर सकें?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ऐसा कोई प्रपोजल न विचार में है, न विचार करेंगे।

डॉ कर्ण सिंह: सभापति महोदय, दफा 370 का जो प्रश्न है, यह बड़ा नाज़ुक प्रश्न है और इस समय रियासत बड़े खतरनाक दौर से गुजर रही है। कुछ बातचीत शुरू होने के आसार लग रहे हैं, एक नया दौर आरंभ हो सकता है। मेरी प्रार्थना होगी इस हाउस से और सभी सदस्यों से कि अब जबकि इस समय यह बात आगे चलने वाली है, कुछ लोगों को रिहा किया गया है, कुछ बातचीत करने की बात हो रही है तो इस समय 370 को खत्म करने की बात न की जाए। इससे जो वातावरण बनना चाहिए बातचीत के लिए, वह प्रदूषित हो सकता है। क्या गृह मंत्री जी मेरी इस बात से सहमत हैं?

SHRI L. K. ADVANI: It is not a question. I have already said...

एक्चुअली सवाल जो पूछा गया था, वह अकाली दल के सिलसिले में था और उसके कारण मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इसीलिए मैंने आरंभ में ही बताया कि मैंने इसके बारे में पूरी छानबीन की है और मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली। यहां तक कि स्वयं बादल जी से भी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

डॉ कर्ण सिंह: सभापति महोदय, मेरा प्रश्न अकाली दल से संबंधित नहीं था। मंत्री महोदय ने शायद ध्यान से सुना नहीं। मैंने यह प्रार्थना की थी कि इस नाजुक दौर के समय जब बातचीत आरंभ होने की संभावना हो रही है। और जब सारी परिस्थिति एक बड़े भंयकर दौर पर पहुंची हुई है, क्या आप मुझसे सहमत हैं कि इस समय आर्टिकल 370 के विरुद्ध बात करना देश हित में नहीं होगा?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने तो यह कहा है कि हमारी सरकार के कार्यक्रम में यह नहीं है कि धारा-370 को खत्म किया जाए।

श्री टी. एन. चतुर्वेदी: आप इसकी राय दे दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस समय कश्मीर में जो दौर है और वहां पर जिस प्रकार की स्थिति है, उसमें इस प्रकार की चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

श्री एस. एस. अहलुवालिया: चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आर्टिकल -370 के तहत कश्मीर को एक स्पैशल स्टेटस दिया जाता है, उनको जो स्पैशल स्टेटस मिलता है उसी के माध्यम से वहां पर माइनोरिटीज को भी स्टेटस मिलना चाहिए, उसके अधिकार मिलने चाहिए? इसकी आड़ में उनको इन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है,

मसलन वहां पर निर्दोष सिखों की हत्या हुई है। मैं वहां पर तीन बार गया। मैंने उनकी मजबूरी और तकलीफों को समझा है। वहां पर उनको सबसे बड़ा कष्ट यह है कि यदि उनको सरकारी नौकरी दी जाती है तो उसमें माइनोरिटी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। शिक्षा के लिए, मैडिकल कॉलेज के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए गवर्नमेंट से जो कोटा रिलीज होता है उसमें भी सिख माइनोरिटी का कोई नामोनिशां नहीं रहता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए यदि अनुदान की बात आती है तो उसमें भी उनको कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सिख वहां पर आज के नहीं बसे हुए हैं। ये तब से वहां बसे हुए हैं जब कंवर्जन शुरू हुआ था, जब वहां जबरन जनेऊ उतारे गए थे, बोदियां काटी गई थी और तिलक पोंछे गए थे। उस वक्त ये लोग सिख बने थे और तब से वहां पर बसे हुए हैं। ये लोग कहीं से माइग्रेट होकर नहीं आए थे। ये कश्मीर के हैं और कश्मीरी सिख हैं। इनको इन चीजों से डिप्राइव किया जाता है। आर्टिकल-370 के तहत हर एक कश्मीरी को एक स्पैशल स्टेटस के तहत सहयोग मिलता है, अनुदान मिलता है तो फिर ये सिख इससे वंचित क्यों हैं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य ने वहां की माइनोरिटीज के बारे में, विशेषरूप से सिखों के बारे में कुछ बातें कही हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारी सरकार का प्रयत्न रहा है कि देश में जितने माइनोरिटी हैं, जो-जो जहां पर हैं उनके साथ न्याय हो और हमारी यही एप्रोच जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में भी रहेगी। लेकिन प्रमुख रूप से यह दायित्व हर एक राज्य सरकार का है। राज्य सरकार को हमारी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन हमारे लिए इस बात की चिंता करना आवश्यक है कि सभी स्थानों पर माइनोरिटी न्यायपूर्ण जीवन व्यतीत करें, सुरक्षित जीवन व्यतीत करें।

†**मौलना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** सर, अहलुवालिया जी ने एक अच्छी बात कही है माइनोरिटी के हुकूक के तहफ्फुज के लिए कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। सच बात तो यह है पूरे हिन्दुस्तान को यही दिशा दी गई है, मुल्कभर में जहां-जहां भी माइनोरिटिज हैं उनके साथ वही सुलूक हो रहा है जो वहां के सिखों के साथ हो रहा है। इसलिए अगर...

MR. CHAIRMAN: This question doesn't arise out of this.

†**मौलना ओबैदुल्ला खान आज़मी:** मेरा प्रश्न यह है कि दफा-370 के तहत बाहर का आदमी वहां जाकर नहीं रह सकता और जो वहां के रहने वाले हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज कश्मीरी पंडित अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं तो क्या कश्मीरी पंडितों को दफा-370 के तहत वापस भेजकर वहां पर कोई खैरसगाली का माहौल पैदा करेंगे? मेरी दूसरी बात यह है कि जिन सिखों का कत्ले-आम हुआ है उनके आतंकवादी कातिल अब

---

†Transliteratian in Persian Script is available in the Hindi version of the Debate.

तक नहीं पकड़े गए हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि वह कौन सा गिरोह है, वे कौन से लोग हैं, जिन्होंने हत्या की है और क्या अब तक उनकी कोई निशानदेही हुई है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पहला सवाल, कश्मीरी पंडित जो कश्मीर घाटी से निर्वासित होकर बाकी भागों में गए, उनके बारे में यहां पर कुछ दिन पहले सवाल-जवाब हुए थे और किसी एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि अगर कोई तमिलनाडु गया है तो हम उनका रिहेबिलिटेशन करने के लिए तैयार हैं। वे किसी और प्रदेश में गए हैं तो उनका वहां रिहेबिलिटेशन करने के लिए तैयार हैं। इसके उत्तर में मैंने इतना ही कहा था कि सरकार का दृष्टिकोण यह है कि ये सब लोग वापस अपने स्थानों पर चले जाएं। मैंने यह नहीं कहा था कि ये जल्दी चले जाएं। लेकिन मैंने आज प्रातः काल ही कहीं खबर देखी कि सरकार और गृह मंत्रालय का यह दृष्टिकोण अनरियलिस्टिक है। वापस जाने का सवाल नहीं है। जल्दी तो जाएंगे नहीं। मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी वहां स्थिति ऐसी नहीं है कि लोग सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ, जाकर बस सकें। लेकिन उस दिशा में हमारा प्रयत्न रहेगा और जब तक यह नहीं हो जाता तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा।

दूसरी बात आपने पूछी सिक्खों का जो कत्लेआम हुआ है, चट्टीसिंहपुरा की घटना में। उनमें से कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और एकाध को पकड़ा भी गया है। लेकिन एक दूसरी घटना हुई थी उसमें दो प्रकरण हुए थे। एक घटना के संदर्भ में एक जांच आयोग बैठा हुआ है। वह जांच कर रहा है।

श्री ओबैदुल्ला खान आज़मी: किस वर्ग के लोग हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कुकर्म आई.एस.आई. के इंस्टीगेशन पर कुछ लोगों ने किया।

श्री ओबैदुल्ला खान आज़मी: क्या किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हमें पता है कि संगठन ने यह काम किया है। लेकिन उन्होंने फोर्मली इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है क्योंकि उनकी शुरू से यह योजना थी कि यह सब करके भी कहेंगे कि यह सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है और उन्होंने अपनी योजना के अनुसार अपना काम किया है।

MR. CHAIRMAN: Next question.

*442. [The Questioner (Shri Nana Deshmukh) Was absent. For answer, *vide* Page 22 *infra*.]

*443. [The Questioner (Shrimati Basanti Sarma) was absent. For answer, *vide* Page 22 *infra*.]